भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 525**

**14 दिसंबर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: कृषि आय की वृद्धि दर**

**525. श्री रिपुन बोराः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों के दौरान कृषि आय की औसत वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत से कम होकर 3.7 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत चार वर्षों के दौरान औसत कृषि वृद्धि दर आर्थिक सुधारों के शुरू होने के बाद से सबसे कम रही है; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि आय को 4.5 प्रतिशत से भी अधिक तक ले जाने के लिए क्या प्रस्ताव है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क): केंद्रीय सांख्‍यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्‍यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर, 2018 को जारी अनुमानों के अनुसार, पिछले चार वर्षों के दौरान 2011-12 के मूल्‍यों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्‍यवर्धन (जीवीए) की वार्षिक विकास दर का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:

(प्रतिशत में)

|  |  |
| --- | --- |
| वर्ष | कृषि और संबद्ध क्षेत्र का (जीवीए) |
| 2014-15 | -0.2 |
| 2015-16 | 0.6 |
| 2016-17 | 6.3 |
| 2017-18 | 3.4 |

स्रोत: सीएसओ, सांख्‍यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय

(ख): कृषि विकास मानसून मौसम के दौरान वर्षा के विस्‍तार और क्षेत्रीय वितरण, बिना मौसम की बारिश/ओलावृष्‍टि, विपरित तापमान स्‍थितियों आदि के कारण चक्रीय उतार-चढ़ावों पर निर्भर करता है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल मूल्‍यवर्धन मुख्‍यत: कृषि, बागवानी, मत्‍स्‍य पालन, डेयरी आदि में उत्‍पादन के स्‍तर से निर्धारित होता है। खाद्यान्‍नों का उत्‍पादन कृषि में उत्‍पादन के समग्र मूल्‍य/सकल मूल्‍यवर्धन का एक महत्‍वपूर्ण घटक है।

|  |  |
| --- | --- |
| वर्ष | खाद्यान्‍नों का उत्‍पादन (मिलियन टन) |
| 2014-15 | 252.02 |
| 2015-16 | 251.57 |
| 2016-17 | 275.11 |
| 2017-18\* | 284.83 |
| \* चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार | |

देश में कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ाने और किसानों के कल्‍याण के लिए, भारत सरकार विभिन्‍न योजनाओं का कार्यान्‍वयन कर रही है अर्थात् राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)- कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश् बढ़ाने तथा उत्‍पादन बढ़ाने के लिए राज्‍यों को और अधिक लचीलता प्रदान करने हेतु; परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)-पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करके, कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाकर जैविक खेती को बढ़ावा देना; मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना- मृदा स्‍वास्‍थ्‍य और इसकी उत्‍पादकता में सुधार के लिए; प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)/ “पर ड्रॉप मोर क्रॉप”- उपलब्‍ध जल संसाधन के इष्‍टतम उपयोग के लिए सूक्ष्‍म सिंचाई तथा बेहतर खेती जल प्रबंधन व्‍यवहारों हेतु; राष्‍ट्रीय कृषि बाजार योजना (एनएएम)- पूरे देश में मण्‍डियों को एक सामान्‍य इलेक्‍ट्रोनिक प्‍लेटफार्म से जोड़ने के लिए, आदि।

(ग): जी, नही।

(घ): कृषि एक राज्‍य विषय है और इसलिए कृषि क्षेत्र के विकास और बढ़ावा देने के लिए उनके संबंधित राज्‍यों के विशेष परिप्रेक्ष्‍य में योजनाएं बनाना तथा कार्यक्रमों/योजनाओं का प्रभावी कार्यान्‍वयन सुनिश्‍चित करना राज्‍य सरकारों की प्राथमिक जिम्‍मेदारी है। तथापि, भारत सरकार विभिन्‍न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्‍यम से राज्‍य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है। इसके अलावा, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्‍य प्राप्‍त करने और कृषि क्षेत्र में नई उर्जा लाने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने/आकर्षित करने तथा इसका विकास दर बढ़ाने के लिए संबंधित मुद्दों की जांच करने और इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए रणनीति का सुझाने के लिए सरकार ने मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, राष्‍ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय की अध्‍यक्षता में 13.04.2016 को एक समिति गठित की है। सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्‍य प्राप्‍त करने के लिए चार मुख्‍य पहलुओं पर विशेष ध्‍यान दे रही है। इनमें आदान लागत कम करना, उत्‍पादों के लिए उचित मुल्‍य सुनिश्‍चित करना, बर्बादी रोकना और आय के वैकल्‍पिक स्रोतों का सृजन शामिल है।

\*\*\*\*\*